

प्रेषक,
श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 10 जनवरी, 2019

विषय: वर्ष 2018 में बाढ़/भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों के तात्कालिक मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से धनावंटन।
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018 में बाढ़/भारी वर्षा से जनपद की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों का विवरण आपके पत्रांक 2570/4सी अधि0अभि0-कैम्प-का0दे0/2018 दिनांक-23-11-2018 द्वारा उपलब्ध कराते हुए उनकी मरम्मत हेतु कुल रू0-470.937 लाख की धनराशि आवंटित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके जनपद की मांग के सापेक्ष भारत सरकार के आदेश दिनांक-18-04-2015 में निर्धारित मानक के अनुसार बाढ़/भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत के लिये वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 470.937 लाख (रुपये चार करोड़ सत्तर लाख तिरान्चे हजार सात सौ मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रं. सं.	मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)
1	लखनऊ-इटवा मार्ग राज्य मार्ग-40 के क्षतिग्रस्त तटबन्ध सुधार का कार्य	22.07
2	चौबेपुर बेला मार्ग राज्य मार्ग-68 के क्षतिग्रस्त तटबन्ध सुधार का कार्य	10.31
3	लखनऊ-इटवा मार्ग से इटैली मार्ग (अ0जि0मा0) के क्षतिग्रस्त तटबन्ध सुधार का कार्य	5.31
4	लखनऊ-इटवा मार्ग से खेड़ा कुर्सी मार्ग (अ0जि0मा0) के क्षतिग्रस्त तटबन्ध सुधार का कार्य	5.25
5	रूरा डेरापुर सम्पर्क मार्ग।	7.11
6	सिकन्दरा भोगनीपुर सम्पर्क मार्ग।	70.09

ms

7	रसूलाबाद लहरापुर मार्ग।	2.36
8	कुर्सीखेड़ा-कृष्णदत्त निवादा मार्ग वाया दलिकपुर महाराज मार्ग	2.98
9	लखनऊ इटावा मार्ग से अकोडिया मार्ग से ग्राम सूरज सम्पर्क मार्ग	2.96
10	डेरापुर सरंगांव खुर्द मार्ग से बिरिया जंगल मार्ग।	7.04
11	कैरामऊ-नन्दपुर गांव सम्पर्क मार्ग (किमी-2) से मिर्जापुर सम्पर्क मार्ग।	9.89
12	डेरापुर चम्पतपुर मार्ग से राजस्व ग्राम सरगांव खुर्द के मजरा बिचौलिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	5.30
13	डेरापुर मंगलपुर मार्ग से भुपतियापुर सम्पर्क मार्ग।	5.60
14	डिडौलिया से माइनर सम्पर्क मार्ग।	5.52
15	रूरा झींझक मार्ग से कमालपुर होकर डिडौलिया सम्पर्क मार्ग	9.90
16	गलुवापुर से बड़ागाँव भिक्खी सम्पर्क मार्ग	1.05
17	गलुवापुर नोनारी बुजुर्ग से ग्राम बिसोहा सम्पर्क मार्ग।	14.59
18	कसोलर रायपुर मार्ग (किमी-4) से उदयपुर सम्पर्क मार्ग।	7.23
19	महतौली कसोलर रीवा सन्दलपुर मार्ग से बीसलपुर से तेरा सम्पर्क मार्ग	7.14
20	रतनियापुर से नौनारी अकारू जुरिया सम्पर्क मार्ग।	3.96
21	अमराहट का मजरा डेरा बंजारन सम्पर्क मार्ग।	6.68
22	राजपुर बकसौंधी दमनपुर सम्पर्क मार्ग।	9.77
23	महतौली गोहानी सम्पर्क मार्ग।	3.58
24	चौबेपुर बेला मार्ग से गोपालपुर सम्पर्क मार्ग।	3.29
25	झींझक से ग्राम नहेली सम्पर्क मार्ग।	6.90
26	चौबेपुर बेला मार्ग से बहादुरपुर सम्पर्क मार्ग।	7.04
27	डिलवल खानपुर झींझक रेलवे स्टेशन सम्पर्क मार्ग।	2.64
28	एस.जे.आर.मार्ग के किमी0-9 से जबरपुर सम्पर्क मार्ग।	6.94
29	सतौरा गहिलापुर मार्ग के किमी0-2 से डेरा बंजारन सम्पर्क मार्ग।	4.32
30	अनुरुद्ध से मडैया सम्पर्क मार्ग।	1.54
31	लखनऊ-इटावा मार्ग से मनौरा रसूलाबाद (मुनब्वरपुर) मार्ग।	3.62

K

32	लखनऊ-इटावा मार्ग से खिरिया वाया अन्ता मार्ग अन्नी निवादा सम्पर्क मार्ग।	4.60
33	बी0एम0बी0 के किमी0-29 से कटरा होते हुए उलरापुर सम्पर्क मार्ग।	7.06
34	बरिगौ बम्बीपुलिया से रामपुर होते हुए डकवन सम्पर्क मार्ग।	3.67
35	बिल्हौर मकनपुर विसधन रसूलाबाद मार्ग से गदाईपुर सम्पर्क मार्ग।	3.37
36	तिसाह से गुदैला सम्पर्क मार्ग।	5.22
37	लखनऊ इटावा मार्ग मुरी से नौहा नौगाँव सम्पर्क मार्ग।	7.39
38	बरिगौ से तिसाहा होते हुए कुशलपुरवा सम्पर्क मार्ग।	6.81
39	लखनऊ इटावा मार्ग के किमी0-31 से पहाडपुर सम्पर्क मार्ग।	1.84
40	बिल्हौर मकनपुर बिसधन मार्ग से खालेगाँव सम्पर्क मार्ग।	6.70
41	सिकन्दरा जफरापुर बैजामऊ मार्ग।	16.27
42	इन्द्रपुर से जैसलपुर महादेवा सम्पर्क मार्ग।	10.32
43	सिहुरामीरा सियारी नाला पुल सम्पर्क मार्ग।	12.51
44	झींझक कंचौसी मार्ग से लालपुर सम्पर्क मार्ग।	1.42
45	झींझक कंचौसी से हीरामंशा वाया लगरथा मार्ग।	6.78
46	अहरूपुरवा सम्पर्क मार्ग।	1.65
47	सूखमपुरवा सम्पर्क मार्ग।	2.21
48	लखनऊ इटावा मार्ग से चन्दनपुरवा मार्ग (किमी-1) से घुरऊ सम्पर्क मार्ग।	2.85
49	रसूलाबाद से ग्राम गहलू सम्पर्क मार्ग।	8.79
50	अनन्तपुर धौकल मार्ग के किमी0-5 से गणेनगंज सम्पर्क मार्ग।	3.41
51	सिकन्दरा झींझक रसूलाबाद मार्ग से खम्हैला सम्पर्क मार्ग।	5.67
52	एम0डी0आर0-85 से मिर्जापुर लकोटिया मार्ग।	2.57
53	लखनऊ इटावा मार्ग मटेरा वाया अमरोहिया मार्ग।	5.89
54	गम्भीरा का मजरा लखमीपुरवा सम्पर्क मार्ग।	4.17
55	रसूलाबाद बिसधन से मिर्जापुर लकोटिया मार्ग।	3.69
56	परसौना मजरा से महापुरवा सिसाही मार्ग।	2.71

ku

57	झींझक से नहर पटरी होते हुए राजस्व ग्राम शाहपुर का मजरा खितारी सम्पर्क मार्ग।	11.94
पुल पुलिया पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग की मरम्मत का कार्य।		
58	भीतरगाँव तथा सुक्खा निवादा के मध्य पाण्डु नदी पर सेतु की पहुँच मार्ग में मरम्मत का कार्य।	3.24
59	रतनपुर खास पुल, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग पर मरम्मत का कार्य।	24.570
60	अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षतिग्रस्त रूरा डेरापुर सम्पर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त पर पुलियों की मरम्मत का कार्य (किमी 0-7 एवं 11)।	3.110
61	सुनवर्षा से करिगापुर सम्पर्क मार्ग।	3.96
62	लालपुर छिद्दीपुरवा पुल की पहुँच मार्ग/अतिरिक्त पहुँच मार्ग की मरम्मत का कार्य।	16.59
63	बिल्हौर मकनपुर बिसधन रसूलाबाद मार्ग से लकोटिया पुल सम्पर्क मार्ग।	7.96
		470.937
(रूपये चार करोड़ सत्तर लाख तिरान्चे हजार सात सौ मात्र)		

3- स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से उपभोग किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803 /दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है, के अनुसार किया जायेगा।

4- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800- अन्य व्यय-05-नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों के लिए ही किया जायेगा। किसी भी अन्य कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

6- कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व, कार्य के समय एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त फोटोग्राफ अवश्य रखे जायें एवं प्रगति रिपोर्ट राहत आयुक्त कार्यालय की ई-मेल rahat@nic-in पर उपलब्ध करायी जाये।

7- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग

ku

सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

10- राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

11- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

12- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकित कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,



(श्याम मोहन तिवारी)

उप सचिव।

संख्या - 19 (1)/1-10-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्ता।
- 3- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 5- अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, कानपुर देहात।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(श्याम मोहन तिवारी)

उप सचिव।